इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 2024—श्रावण 22, शक 1946

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2024

अधिसूचना क्र. 06—एफ 1—15—2018—अठारह—3.— मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 14 की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,-

(1) नियम 24 में, उप-नियम (1) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि, नगरपालिक निगम के महापौर/पार्षद तथा नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के पार्षद के निर्वाचन हेतु, आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में, अभ्यर्थी नामनिर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की प्रति, संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की प्रति, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामनिर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।"।

(2) नियम 45 में, खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(च) दिव्यांग (दृष्टिहीनता या शारीरिक निशक्तता) मतदाता, जो सहायता के बिना चल नहीं सकता है, उनके साथ वाला कोई व्यक्ति; और" ।

(3) नियम 52 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"52. दृष्टिहीन या शारीरिक निशक्त मतदाता द्वारा मत का अभिलेखन.-

(1) यदि पीठासीन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है, कि दिव्यांगता (दृष्टिहीनता या शारीरिक निशक्तता) के कारण कोई मतदाता मतपत्र पर प्रतीक को पहचानने में या बिना किसी की सहायता के उस पर चिन्ह लगाने में असमर्थ है, तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता को, उसकी इच्छा के अनुसार मतपत्र पर मत अभिलेखन करने और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र को इस प्रकार मोड़ने के लिए, कि मत छिप जाए और उसे मतपेटी में डालने के लिए, अपने साथ, अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी मतदान केन्द्र पर उसी दिन एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन किसी मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात किए जाने के पूर्व उससे प्ररूप 16 में यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी, कि मतदाता की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को वह गुप्त रखेगा और उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन समस्त मामलों का अभिलेख रखेगा।" ।

(4) नियम 63घ में, खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नालिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(च) दिव्यांग (दृष्टिहीनता या शारीरिक निशक्तता) मतदाता, जो बिना सहायता के चल नहीं सकता, के साथ एक व्यक्ति; और।"।

(5) नियम-63ङ के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"63ङ. दृष्टिहीन या निशक्त मतदाताओं के मतदान का अभिलिखित किया जाना.-

(1) यदि पीठासीन अधिकारी का समाधान हो जाए कि मतदाता दिव्यांगता (दृष्टिहीन या शारीरिक निशक्त) के कारण, मतदान मशीन में मतदान यूनिट प्रतीक की पहचान करने में असमर्थ है या बिना सहायता समुचित बटन दबाकर अपना मतदान अभिलिखित करने में असमर्थ है, तब पीठासीन अधिकारी उसे अपना एक साथी, जिसकी उम्र अठारह वर्ष से कम न हो, अपनी ओर से उसकी इच्छा के अनुसार मतदान अभिलिखित करने के लिए मतदान कक्ष तक ले जाने की अनुमति देगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी मतदान केन्द्र पर उसी दिन एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन किसी मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात किए जाने के पूर्व, उस व्यक्ति से प्ररूप 16 में उल्लिखित यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी, कि मतदाता की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को वह गुप्त रखेगा और उसने उस दिन किसी दूसरे मतदान केन्द्र पर किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन समस्त मामलों का अभिलेख रखेगा।" ।

6. प्ररूप 3 16, 17, एवं 20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

"नगरपालिका निर्वाचन
प्ररूप–3
(नियम–24(2) देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

मैं प्रस्तावक, *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करता/करती हूँ :–

निर्वाचन के पद का विवरण

जिला			अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया स्टाम्प आकार का फोटो (2 से.मी.X 2.5से.मी.), जिसमें पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान
** नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का नाम*			
** पद का नाम, जिसके निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नाम निर्दिष्ट किया जा रहा है.*	*महापौर*	*पार्षद*	
पार्षद के पद के लिए नामनिर्देशन की स्थिति में सम्बंधित वार्ड का क्रमांक			

अभ्यर्थी का विवरण

1.	*(क) अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)*			
	(ख) अभ्यर्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी में)			
2.	** लिंग*	*पुरूष*	*महिला*	*अन्य*
3.	*अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम*			
4.	*अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता*			

5. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

** नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद /नगर परिषद का वार्ड क्रमांक जहां कि अभ्यर्थी का नाम दर्ज है*	*मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक जहां कि अभ्यर्थी का नाम दर्ज है*	*मतदाता सूची में अभ्यर्थी का मतदाता क्रमांक*

प्रस्तावक का विवरण

6.	*प्रस्तावक का पूरा नाम*			
7.	** लिंग*	*पुरूष*	*महिला*	*अन्य*
8.	*प्रस्तावक के पिता/पति का नाम*			
9.	*प्रस्तावक के डाक का पूरा पता*			
10.	*प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर*			

11. प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

** नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का वार्ड क्रमांक जहां कि प्रस्तावक का नाम दर्ज है*	*मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक जहां कि प्रस्तावक का नाम दर्ज है*	*मतदाता सूची में प्रस्तावक का मतदाता क्रमांक*

*जो लागू शब्द न हो उसे काट दें.

....
प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक ....

नाम ....

अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन की सम्मति

मैं ऊपर उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और मेरे बारे में आवश्यक जानकारियाँ निम्नानुसार है :–

12.	जन्मतिथि	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
13.	संवीक्षा तिथि को पूर्ण होने वाली आयु (वर्ष में)								
14.	जाति/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)								
15.	जाति का नाम (आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में)								
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम								
17.	**राजनैतिक दल का नाम, जिसके द्वारा निर्वाचन में खड़ा किया गया है								
18.	अधिमान क्रम में चुने गए प्रतीक चिन्ह	1.							
		2.							
		3.							
19.	मतपत्र में मुद्रित किया जाने वाला नाम (हिन्दी में)								
20.	अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर								

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ऊपर वर्णित जानकारी सत्य है. मैं उपर्युक्त *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् के पार्षद् के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक .... **नाम** ....

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–24(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक से संबंधित जानकारी को घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में **शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति** के साथ.	
2.	अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–8	
3.	अभ्यर्थी को राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–9	
4.	अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की प्रति	
5.	**प्रतिभूति राशि जमा किए जाने की रसीद**	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अंतर्गत **विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र**	
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अंतर्गत ***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र**	
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का **स्टाम्प** आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ	
9.	अन्य –	
10.	अन्य –	

***लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए.**

****राजनैतिक दल द्वारा खड़ा न किए जाने की स्थिति में सम्मुख कॉलम में "निर्दलीय" अंकित कीजिए.**

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक .... नाम ....

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

1.	नामनिर्देशन पत्र का क्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण, जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को पावती दी गई है.
(कॉलम क्रमांक–3 एवं 4 में वही जानकारी अंकित की जाए जो अभ्यर्थी को दी गई पावती में अंकित की गई है)

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ / नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो वह विशिष्ट दस्तावेज़ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–24(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता से संबंधित जानकारी को घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	अभ्यर्थी को राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–8			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	अभ्यर्थी को राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–9			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की प्रति			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	प्रतिभूति राशि जमा किए जाने की रसीद		प्रतिभूति राशि जमा किए जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
6.	*मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17 / मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17 / मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अंतर्गत *नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
9.	अन्य –			
10.	अन्य –			

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

दिनांक ....

....
रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम ....

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने के सम्बंध में रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–28 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ :– (**)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

दिनांक ....

नाम ....

सील ....

**यदि नामनिर्देशन पत्र प्रतिक्षेपित किया जाता है तो उसके कारण लिखे जाएं।

अभ्यर्थी को प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन पत्र की पावती और संवीक्षा करने की सूचना.

1.	नामनिर्देशन पत्र का क्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक
5.	अभ्यर्थी का नाम		
6.	*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् का नाम		
7.	पद का नाम जिसके निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है. (पार्षद की स्थिति में वार्ड क्रमांक अंकित किया जाए)		
8.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि		
9.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय		
10.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान		

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज़ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समय सीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–24(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक संबंधी जानकारी अभ्यर्थी घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	अभ्यर्थी को राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–8			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	अभ्यर्थी को राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–9			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की प्रति.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	प्रतिभूति राशि जमा किए जाने की रसीद.		प्रतिभूति राशि जमा किए जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अंतर्गत *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण–पत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
9.	अन्य –			
10.	अन्य –			

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें.....................................

दिनांक ....

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम ....

सील ....

प्ररूप–16

[नियम 52(1) देखिए]

दिव्यांगजन (दृष्टिहीनता या शारीरिक निशक्तता) मतदाता के साथी द्वारा घोषणा–पत्र

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्..**

के *महापौर/वार्ड क्रमांक..के पार्षद का निर्वाचन।

मैं...पिता...

आयु.....................निवासी..पता...

....

एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं किः–

(क) मैंने आज तारीख..को किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं, (नाम) श्री/कु./श्रीमती...जो मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक............................के क्रमांक............................पर दर्ज है के निमित्त मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी।

स्थान..

तारीख..

....

(साथी के हस्ताक्षर)

नाम..

प्रतिहस्ताक्षरित

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र क्रमांक..............................

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप–17

[नियम–54 (2) देखिए]

निविदत्त मतों की सूची

***नगरपालिक निगम के महापौर एवं नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.. ....के वार्ड क्रमांक.......................................के पार्षद का निर्वाचन।**

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		मतदाता का पता	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक
		मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

उस व्यक्ति, जिसने मत डाल दिया है, का मतदाता रजिस्टर में अंकित क्रमांक	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(7)	(8)

....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख..

नाम...

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप–20
[नियम 66 (10) देखिए]
निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम

नगरपालिक निगम के महापौर एवं *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्.. ....के वार्ड क्रमांक.......................................के पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

2. (क) निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की कुल संख्या...

(ख) अविधिमान्य किए गए निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की कुल संख्या..............................

(ग) प्राप्त हुए कुल निर्वाचन कर्त्तव्य मतों की संख्या...

(घ) "इनमें से कोई नहीं (नोटा)" को प्राप्त मतों की कुल संख्या...............................

स्थान......................................
तारीख......................................
(नगरपालिका) के हस्ताक्षर

....
रिटर्निंग आफिसर
(नाम...)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2024

क्र.–एफ 1–15–2018–अठारह–3.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड–3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 06–एफ 1–15–2018–अठारह–3 दिनांक 13 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 13th Augst, 2024

Not-No-0-6 F- 1-15/2018/18-3 :: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 read with section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (2) of section 32 read with section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, in consultation with the State Election Commission, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika Nirvachan Niyam, 1994, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, -

(1) In rule 24, in sub-rule (1), in the existing proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that in case of being a member of reserved category for the election of Mayor/ Councillor of Municipal Corporation and Councillor of Municipal Council/ Nagar Parishad, the candidate shall mandatorily submit a copy of the caste certificate issued by the competent authority of Government of Madhya Pradesh along with the nomination paper before the time and date due for scrutiny. In case the candidate does not submit a copy of the caste certificate issued by the competent authority of the Government of Madhya Pradesh, the nomination paper shall be cancelled by the Returning Officer.".

2. In rule 45, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

"(f) persons with disability (visual impairment or physical disability) voter, who cannot move without assistance, a person accompanying with them; and."

3. For rule 52, the following rule shall be substituted, namely:-

"**52. Recording of vote by blind or infirm voter.-** (1) If the Presiding Officer is satisfied that any voter, by reason of persons with disability (visually impaired or physically handicapped) is unable to recognize the symbol on the ballot paper or to mark it without any assistance, the Presiding Officer shall allow such voter a companion not below the age of eighteen years to accompany him into the voting compartment for recording the vote on ballot paper as per his wish and, if necessary, for folding the ballot paper in such a way as to conceal the vote and to drop it into the ballot box:

Provided that no person shall be allowed to act as companion of more than one voter at any polling station on the same day:

Provided further that before any person is permitted to act as a companion of a voter under this rule, he shall be required to make a declaration mentioned in Form 16 that he shall keep the vote recorded by him on behalf of the voter and he has not already acted as the companion of any other voter at any polling station on that day.

(2) The Presiding Officer shall keep a record of all cases under this rule.".

4. In rule 63D, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

"(f) persons with disability (visual impairment or physical disability) voter, who cannot move without assistance, a person accompanying with them; and.".

5. For rule 63M, the following rule shall be substituted, namely:-

"63 M. Recording of votes of blind or infirm electors.-

(1) If the Presiding Officer is satisfied that any voter, by reason of persons with disability (visually impaired or physically handicapped) is unable to identify the voting unit symbol in the voting machine or is unable to record

his vote by pressing the appropriate button without assistance, then the Presiding Officer shall permit him to take one of his companions, who is not less than eighteen years of age, to the polling booth to record the vote on his behalf as per his wish:

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one elector at any polling station on the same day:

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of an elector on any day under this rule, that person shall be required to make a declaration mentioned in Form 16 that he shall keep secret the vote recorded by him on behalf of the elector and that he has not already acted as the companion of any other elector at any other polling station on the same day.

(2) The Presiding Officer shall keep a record of all cases under this rule.".

6. For Forms 3, 16, 17 and 20, the following forms shall be substituted, namely:-

"MUNICIPAL ELECTION
FORM - 3
[See Rule - 24(2)]
Nomination Paper

I, Proposer, nominate the following for the election of *Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council :–

Details of the Post of Election

District		
*Name of the Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council		
*Name of Post, for which candidate is nominated for election	Mayor	Councillor
Ward No. in case of nomination for the post of Councillor		

Place to affix a recent **Stamp size** (2cm X 2.5cm) photograph with clear frontal face image.

Details of the Candidate

1.	(a) Candidate's full Name (In Hindi)			
	(b) Candidate's full Name (In English)			
2.	*Sex	Male	Female	Other
3.	Father's/Husband's name of candidate			
4.	Full postal address of candidate			

5. Details of Candidate's name entered in voter list

*Ward No. of Municipal Corporation/Municipality/ Municipal Council where candidate name is entered	Part No. of the voter list where candidate's name is entered	Candidate's serial No. in the voter list.

Details of the Proposer

6.	Full Name of Proposer									
7.	*Sex	Male	Female	Other						
8.	Father/Husband's name of Proposer									
9.	Full postal address of Proposer									
10.	Mobile No. of the Proposer									

11. Details of Proposer's name entered in voter list

*Ward No. of Municipal Corporation/Municipality/ Municipal Council where proposer name is entered	Part No. of the voter list where proposer's name is entered	Proposer's serial No. in the voter list.

***Strike out the word not applicable.**

....

Date ....

Signature/Thumb impression of Proposer
Name ....

Consent by the Candidate for Nomination

I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and my details are ...

12.	Date of Birth	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
13.	Age, as on date of scrutiny (in Years)								
14.	Caste/Category (Unreserved/SC/ST/OBC)								
15.	Caste Name (In case a member of reserved category)								
16.	Name of notified district for caste								
17.	**Name of political party by which the Candidate is set up								
18.	Choice of symbols in preference order	1. 2. 3.							
19.	Name to be printed on Ballot Paper (in Hindi)								
20.	Mobile No. of Candidate								

The above said information is true to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to the seat of Councillor in the above mentioned Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council.

....

Signature/Thumb impression of Candidate

Name..................................

Date..............................

Enclosed documents with nomination paper

S.No.	Details of Documents	Enclosed (Yes/No)
1.	Affidavit with two extra signed copies regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules, 1994.	
2.	**Form-8** In case the candidate is being set up by a political party, under sub-rule (2) of rule 31 of the Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.	
3.	**Form-9** In case the candidate is being set up by a political party, under sub-rule (2) of rule 31 of the Madhya Pradesh Municipal Election Rules, 1994.	
4.	Copy of Caste certificate issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.	
5.	Receipt of Security Deposit.	
6.	*Under section 17 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956/ Section-35 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.	
7.	*Under section 17 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956/ Section-35 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.	
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.	
9.	Other -	
10.	Other -	

***Strike out the word not applicable.**

**** If not being set up by any political party, write "Independent" in the adjacent column.**

....

Signature/Thumb impression of Candidate

Name..................................

Date..............................

(To be filled by the Returning Officer)

1.	Serial Number of Nomination Paper		
2.	Date of presentation of Nomination Paper before Returning Officer		
3.	Time of presentation of Nomination Paper before Returning Officer		
4.	*Person, who has presented the Nomination Paper before Returning Officer	Candidate	Proposer

Details of documents enclosed with the Nomination Paper, for which receipt is provided to the candidate (in column number 3 and 4, fill in same details as it is written in the receipt, handed over to the candidate)

S.No.	Details of document	Enclosed (Yes/No)	If not enclosed, then time limit for submission of the particular document to the Returning Officer	
			Date & Time	Occasion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Affidavit with two extra signed copies regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.		Affidavit is mandatory to be submitted only at the time of presenting Nomination Paper to the Returning Officer.	
2.	**Form-8** In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
3.	**Form-9** In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
4.	Copy of Caste certificate issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.			Before scheduled date and time of scrutiny.
5.	**Receipt of Security Deposit.**		Receipt of Security Deposit is mandatory to be submitted only at the time of presentation of Nomination Paper to the Returning Officer.	
6.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
7.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
9.	Other -			
10.	Other -			

***Strike out the word not applicable.**

....

Signature of Returning Officer (Municipality)

Name..

Date..................................

Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination paper

I have examined this Nomination Paper in accordance with Rule 28 of the Madhya Pradesh Municipalities Election Rules, 1994 and decide as follows :- (**)

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

....

Date..............................

Signature of Returning Officer (Municipality)

Name...

Seal ----------------------------------

**In case nomination paper is rejected, state the reasons therefor.

Receipt of Nomination Paper and Notice of scrutiny to be handed over to the Candidate

1.	Serial Number of Nomination Paper		
2.	Date of Presentation of Nomination before Returning Officer		
3.	Time of Presentation of Nomination before Returning Officer		
4.	*Person, who has presented the Nomination before Returning Officer	Candidate	Proposer
5.	Name of Candidate		
6.	*Name of Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council		
7.	Name of post for which the Nomination paper is presented for election (write ward number in case of the Councillor)		
8.	Date of scrutiny of Nomination Paper		
9.	Time of scrutiny of Nomination Paper		
10.	Place of scrutiny of Nomination Paper		

Details of documents enclosed with the Nomination paper

S. No	Details of document	Enclosed (Yes/No)	If not enclosed, then time limit to present the above document to the Returning Officer	
			Date and Time	Occasion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Affidavit with two extra signed copies regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.		Affidavit is mandatory to be submitted only at th of presenting Nomination paper to the Returning Officer.	
2.	**Form-8** In case the candidate is being set up by a political party, Under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
3.	**Form-9** In case the candidate is being set up by a political party, under sub-rule (2) of rule 31 of the Madhya Pradesh Municipal Election Rules, 1994.			Before scheduled date anc time of withdrawal o candidature.
4.	Copy of Caste certificate issued by competent officer of Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.			Before scheduled date anc time of scrutiny.
5.	**Receipt of Security Deposit.**		Receipt of Security Deposit is mandatory to bo submitted only at the time of presenting the Nomination paper to the Returning Officer.	
6.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section 35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.			Before scheduled date anc time of scrutiny.
7.	*Under section-17 of MP Municipal Corporation Act 1956/ section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
9.	Other -			
10.	Other -			

***Strike out the word not applicable.**

Date..............................

Name----------------------------------

Seal -----------------------------------.*.

Signature of Returning Officer (Municipality)

"FORM--16
[See rule 52(1)]

DECLARATION BY THE COMPANION OF PERSON WITH DISABILITY (VISUAL IMPAIRMENT OR PHYSICAL DISABILITY) **VOTER**

Election of *Mayor/Councilor from Ward Number..................of *Municipal Corporation/Municipal Council/City Council ....

I...Son of...............................

aged..resident of..

Address...

hereby declare that--

(a) I have not acted as Companion of any other voter at any Polling Station today;

(b) I will keep secret the vote recorded by me on behalf of

(Name)...Serial No. and Part No. of Voter's List..

Place...

....

Date..   Signature of Companion

(Name...)
Countersigned
Presiding Officer
Polling Station No.........................

*Strike off the inappropriate alternative.".

"FORM--17

[See rule 54(2)]

LIST OF TENDERED VOTES

Election of *Mayor/Councilor from Ward Number..................of *Municipal Corporation/Municipal Council/City Council ....

Number of Polling Station...

S. No.	Name of voter	Particulars of entry in the voter's list		Address of voter
		Part No. of voter's list	S. No. of voter	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Serial number of tendered ballot paper	The number recorded in the voters' register of the person who has already voted.	Signature or thumb impression of person tendering vote
(6)	(7)	(8)

Signature of Presiding Officer

Date............................

(Name.....................................)

*Strike off the inappropriate alternative.".

"FORM-20
[See rule 66 (10)]

RESULT OF COUNTING OF Election Duty BALLOT PAPERS

Election of *Mayor/Councilor from ward number..................of *Municipal Corporation/Municipal Council/City Council...............................

S.No. (1)	Name of candidate (2)	Valid votes cast in favour of the candidate (3)

2- (a) Total No. of Election Duty votes...

(b) Total No. of invalid Election Duty votes..

(c) Total No. of valid Election Duty votes received...

(d) Total number of votes received on "None of the Above (NOTA)" ....

Signature of Returning Officer (Municipality)

Place ....

(Name...)

Date.......................................

* Strike off the in appropriate alternative.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.